


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 57 / 2025 बउनवानी सरिता मीना बनाम उपजिला कलेक्टर बामनवास
पत्नि सुरेश कुमार मीना निवासी बरनाला तहसील बरनाला

GCMS No-2025/ 161

Appeal Number- 321734187377182

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
1.8.2025	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 1.3..2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर“ 1. What action taken by tehsildar of registration of sale of ancestor land application dated 1 may 2024 , 2- if not , give reason not to restrict sale of ancestor cancel .” की प्रमाणित सूचना“ उपजिला कलेक्टर बामनवास से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास के पत्रांक/आरटीआई /2025/1952 दिनांक 01.8.2025 से अवगत करवाया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 1.3.2025 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी उपजिला कलेक्टर बामनवास के पत्रांक 1953-54 दिनांक 1.8.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके संबंध मे लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट एवं उसके पति को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर </div>

